

राजस्थानसरकार
नगरीय विकास विभाग

22 MAY 2019

क्रमांक: प.1(12)नविवि / 11 / 2012

जयपुर, दिनांक: 22 MAY 2019

आदेश

राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग अभियन्ता सेवा (भवन एवं पथ) नियम, 1954 जो नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अभियन्ताओं पर इस विभाग की आज्ञा संख्या प.1(1)नविआ/81 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किये गये हैं, के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.9.2011 के अनुसरण में दिनांक 01.04.2019 की रिथिति में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (न्यास सेवा) के पद की अंतिम वरिष्ठता सूची (Final Seniority list) निम्नानुसार जारी की जाती है :-

| क्र.सं. | नाम अधिकारी | जन्मतिथि | चयनवर्ष |
|---------|-----------------------|------------|---------|
| 1 | श्री रामलाल | 04.07.1960 | 2016-17 |
| 2. | श्री अशोक कुमार चौधरी | 09.07.1965 | 2016-17 |

विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2018-19 की बैठक दिनांक 28.09.2018 के द्वारा श्री रामलाल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध जांच विचाराधीन होने के कारण इनका लिफाफा बंद रखा गया है।

राज्यपाल की आज्ञासे,



(कन्हैयालाल स्वामी)

संयुक्त शासनसचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
4. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास (.....)।
5. संबंधित अभियन्तागण (श्री रामलाल/श्री अशोक कुमार चौधरी, अति० मुख्य अभियन्ता।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(कैलाश चन्द्र कुमावत)

शासन सहायक सचिव-द्वितीय